प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....311...../2022 दिनांक...05.08.2022.....

2. (I) **अधिनियम**....धारायें:-7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(II) **अधिनियम** ....भारतीय दण्ड संहिता.....धारायें .....120 बी.....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** .....

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** .....100..... **समय** 6:50 PM
(ब) **अपराध घटने का वार**.....गुरूवार.....दिनांक 04.08.2022 **समय** 12.44 पीएम
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** 25.07.2022

4. **सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक**- लिखित

5. **घटनास्थल** :- कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब** उत्तर दिशा में करीब 3.5 कि0मी0
(ब) पता कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना .....**जिला** .....

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :-**
(अ) **नाम:-** श्री ओमप्रकाश शर्मा
(ब) पिता/पति का नाम:- श्री श्री राजेन्द्र प्रसाद
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 47 साल.....
(द) राष्ट्रीयता:- भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या:- जारी होने की तिथि ....**जारी होने की जगह** .....
(र) व्यवसाय:-अग्निशमन उपकरण लगाने का कार्य (ठेकेदार)
(ल) पता:- नारायण निवास, नारायण सिंह सर्किल,जयपुर

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :** –
1. श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी पुत्र श्री केसूलाल फुलवारी, उम्र 55 साल, जाति रेगर, निवासी फ्लेट नम्बर–407, सरस्वती टॉवर, अग्रसेन अस्पताल के पास, विधाधर नगर, जयपुर हाल निवासी फ्लेट नम्बर–101, भगवती रेजीडेन्सी, परशुराम सर्किल के पास, सेक्टर–5, विधाधर नगर, जयपुर हाल–मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर,जयपुर।
2. श्री श्रवण लाल कुमावत पुत्र श्री रामलाल, उम्र 30 साल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम रतनपुरा, पोस्ट गढवाड़ी, पुलिस थाना मनोहरपुर जिला जयपुर हाल चालक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर।
3. श्री राकेश कुमार शर्मा, निवासी 154, सुन्दर विहार, कालवाड रोड, जयपुर एवं
4. अन्य

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)** रिश्वती राशि 50,000/-रूपये

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :-** रिश्वती राशि 50,000/-रूपये।

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** .....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-**

सेवामें
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
SIU,ACB जयपुर

विषयः— भ्रष्ट लोकसेवक को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि मैं अग्निशमन उपकरण लगवाने का काम करता हूँ। जिसमें उपकरण लगवाकर फायर एनओसी जारी करवाने की भी जिम्मेदारी हमारी ही रहती है। एक कम्पनी जिसका नाम **Smilax** सीतापुरा में तथा दूसरी कम्पनी जिसका नाम अदिति आई हॉस्पीटल वैशाली नगर में है। जिनमें मैंने फायर उपकरण लगाने का सम्पूर्ण कार्य किया है। जिनकी फायर एनओसी जारी करवाने हेतु मैं श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी,नगर निगम जयपुर ग्रेटर से मिला। उक्त कम्पनियों में किए गए कार्य की एनओसी जारी करने हेतु श्री जगदीश फुलवारी रिश्वत राशि 1,00,000/—(एक लाख रूपये) की मांग कर रहा है। मेरा श्री जगदीश फुलवारी से न तो कोई लेना देना (उधार राशि) है और न ही इनसे कोई रंजिश है। मैं यह रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ तथा इस भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय
एसडी/
ओमप्रकाश शर्मा 25.07.2022
ओमप्रकाश शर्मा **S/O** श्री राजेन्द्र
प्रसाद
नारायण निवास, नारायण सिंह सर्किल
जयपुर मो.नं.9887173790''

—::— कार्यवाही पुलिस —::—

दि. 25.07.2022.
समय 01.15 पीएम

इस समय श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, SIU,ACB जयपुर ने मन निरीक्षक पुलिस रघुवीर शरण शर्मा को अपने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे व्यक्ति का परिचय श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, नारायण निवास, नारायण सिंह सर्किल, जयपुर के रूप में कराते हुए श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मेरे नाम से अग्रिम कार्यवाही करने का पृष्ठांकित करते हुए सुपुर्द किया। मन निरीक्षक पुलिस ने प्रार्थना पत्र लेकर श्री ओमप्रकाश शर्मा को अपने साथ लेकर कक्ष में आया एवं प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। श्री ओमप्रकाश शर्मा परिवादी को प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मजीद पूछताछ पर अपने द्वारा टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया एवं प्रार्थना पत्र में लिखे तथ्यों की ताईद करते हुए कहा कि हमारी सिद्धान्त फायर सर्विसेज के नाम से फर्म है जो विभिन्न भवनों में अग्निशमन उपकरण लगाने का काम करती है। कुछ उपभोक्ता हमारे माध्यम से फायर एनओसी प्राप्त करते हैं। हमारे द्वारा जयपुर नगर निगम में उक्त दोनों भवनों की फायर एनओसी का आवेदन किया है श्री जगदीश फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा उक्त दोनों भवनों में फायर की एनओसी जारी करने की एवज में 1,00,000/—रूपये की मांग की जा रही है। रिश्वत राशि दिये जाने के बाद ही उक्त भवनों की फायर एनओसी जारी करने की कह रहा है। परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है, जिसका अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है।

दिनांक 25.07.2022 को कार्यालय के श्री मनीष सिंह, कानि0 486 को कक्ष में तलब कर कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मंगवाया गया एवं परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाई। परिवादी ने उसके फायर एनओसी की फाईल 4—5 दिन बाद संदिग्ध अधिकारी के पास पहुंचने के उपरांत रिश्वत राशि मांग के सत्यापन हेतु कहा। जिस पर परिवादी को आवश्यक समझाईश के साथ रूकसत किया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को वापस सुरक्षित कार्यालय में रखवाया। दिनांक 01.08.2022 को परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा के उपस्थित आने पर रिश्वत राशि मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु डिजीटल

वाईस रिकॉर्डर मंगवाकर उसके संचालन की प्रक्रिया समझाई एवं परिवादी के साथ श्री मनीष सिंह, कानि0 486 को रवाना किया गया। बाद सत्यापन श्री मनीष सिंह, कानि0 मय परिवादी के कार्यालय में उपस्थित हुआ एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्ड मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया की मैंने संदिग्ध अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी से मिलकर मेरे काम की बात की तो संदिग्ध अधिकारी ने मेरे से आज ही पच्चास हजार रूपये देने की बात की जो मैंने संदिग्ध अधिकारी के कहे अनुसार उनके द्वारा बताये गये व्यक्ति श्री राकेश कुमार को दे दिये जिसके मोबाईल नम्बर भी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिए हैं। उक्त दो भवनों की फायर एनओसी जारी करने के लिए पूर्व में रिश्वत राशि के रूप में मांगे गए एक लाख रूपये में से सीमलेक्स की फायर एनओसी जारी करने की एवज में आज श्री जगदीश फुलवारी ने अपने दलाल श्री राकेश कुमार के मार्फत रिश्वती राशि में से पच्चास हजार रूपये प्राप्त कर लिए हैं तथा श्री जगदीश फुलवारी द्वारा शेष रही रिश्वत राशि अदिति आई हॉस्पिटल की फायर एनओसी पत्रावली उसके पास ऑन लाईन पहुँचने के पश्चात प्राप्त करेगा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बंद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी के द्वारा बताई गई बातों की ताईद होती है रिकॉर्ड वार्ता में दलाल श्री राकेश कुमार द्वारा स्वयं के मोबाईल नम्बर 9314611167 होना बताया है। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रखा गया एवं परिवादी को हिदायत की कि संदिग्ध अधिकारी आपसे पुनः रिश्वत राशि की मांग करता है तो आप तुरन्त सुचित कर संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि लेकर कार्यालय में उपस्थित आवें। बाद हिदायत मुनासिब परिवादी को रूखसत किया गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को आईन्दा ट्रांसस्क्रिप्ट हेतु सुरक्षित रखा। इसके बाद दिनांक 03.08.2022 को परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा से जरिये दूरभाष सम्पर्क करने परिवादी ने बताया कि मेरी एनओसी की फाईल संदिग्ध अधिकारी के पास पहुंच गई है। जिस पर उसे समझाया कि संदिग्ध अधिकारी से द्वारा रिश्वत की मांग करने पर मुझे अवगत करावें। ट्रैप कार्यवाही के लिए दो स्वतंत्र गवाहान तलब करने पर श्री दीपक शर्मा एवं बालगोविन्द शर्मा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी गण, कार्यालय सांख्यिकी विभाग, जयपुर उपस्थित आये, जिन्हें दिनांक 04.08.2022 को कार्यालय में उपस्थित होने की समझाईश कर रूकसत किया। दिनांक 04.08.2022 दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि आज श्री जगदीश फुलवारी से फायर एनओसी के लिए मिलने जाने पर मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया जाकर परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा का स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक शर्मा व श्री बालगोविन्द शर्मा से आपस में परिचय करवाया गया व परिवादी का प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया जाकर अंकित तथ्यों के बारे में बताया गया व उक्त दोनों गवाह को उक्त कार्यवाही में गवाह बनने के लिए कहा गया तो उक्त दोनों गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की पृथक–पृथक सहमति प्रदान करने पर ट्रैप की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

दिनांक 04.08.2022 को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली राशि 50,000/–रूपये जिनमें से दो–दो हजार रूपये के 25 नोट कुल पच्चास हजार रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	7 CN 224011
2.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	4 FW 167783
3.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	2 HP 498419
4.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	0 DL 488959
5.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	1 FK 628296
6.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	4 BA 121060
7.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	8 AF 713239
8.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	0 KN 472846
9.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	2 FC 410680
10.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	9 DC 832982
11.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	4 GB 516515
12.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	1 BG 804594

13.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	1 AS 424400
14.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	2 DR 364567
15.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	1 ED 805987
16.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	3 DA 564224
17.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	0 ES 601129
18.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	8 DL 594146
19.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	4 KA 735708
20.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	9 GT 944577
21.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	5 EN 334794
22.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	0 EB 868346
23.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	9 BA 412325
24.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	8 BS 478735
25.	एक दो हजार रूपयें का नोट नम्बरी	9 FC 769681

उक्त सभी नोटों पर कार्यालय में उपस्थित श्री धर्मसिंह कानि0 नं0 249 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त दो–दो हजार रूपये के 25 नोट कुल पच्चास हजार रूपये के नोटों पर श्री धर्मसिंह कानि0 नं0 249 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री बालगोविन्द से परिवादी श्री ओमप्रकाश की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन एवं स्वयं की गाड़ी की चाबी के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री धर्मसिंह कानि0 नं0 249 से परिवादी के पहने पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 50,000/–रू. संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को देने हेतु रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नहीं छुएगा तब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावें, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर 9829223391 पर मिसकॉल/फोन कर तथा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करे। इसके बाद परिवादी, दोनों गवाहान एवं उपस्थितगणों को फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी किया प्रतिकिया का उदाहरण देकर समझाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल फोन तथा उसकी गाड़ी की चाबी उसे सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपने शर्ट की उपर की जेब में रखे आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। परिवादी को संदिग्ध अधिकारी व उसके मध्य रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर रिश्वत मांग सत्यापन के वक्त काम में लिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को बाहर निकालकर सुपुर्द किया गया तथा श्री धर्मसिंह कानि0 नं0 249 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। इसके बाद ट्रैप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 04.008.2022 को समय 12.05.पीएम मन निरीक्षक पुलिस रघुवीर शरण मय परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री मनीष सिंह, कानि.486, श्री रमजान अली, कानि.466 स्वतंत्र गवाह श्री दीपक शर्मा परिवादी की गाड़ी में तथा श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस व स्टाफ सर्वश्री अमित ढ़ाका, कानि0 489, पन्नालाल, 09, विनोद कुमार कानि.242 मय स्वतंत्र गवाह श्री बालगोविन्द शर्मा मय सरकारी वाहन चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, कागज के रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान भी परिवादी के वाहन से पीछे–पीछे वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के लिए रवाना होकर नगर निगम ग्रेटर,जयपुर कार्यालय के पीछे वाले गेट, विधान सभा को जाने वाली सड़क पर पहुॅच वाहनों को साईड में खड़ा करवाकर श्री मनीष सिंह, कानि.486 को हिदायत की कि परिवादी के पास मौजुद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को

चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें, जिस पर श्री मनीष सिंह कानि. ने परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता हेतु परिवादी के वाहन से रवाना किया गया। परिवादी की गाड़ी के पीछे पीछे श्री मनीष सिंह कानि. को पैदल–पैदल रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पीछे पीछे रवाना होकर आरोपी के कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से कुछ दुरी पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़े होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे में मुकिम हुए।

समय 12.44पीएम पर परिवादी श्री ओमप्रकाश ने ग्रेटर नगर निगम कार्यालय में जन्ममृत्यु पंजीकरण कार्यालय के सामने खड़ी अपनी डटसन कार में ड्राइवर सीट पर बैठे हुए पूर्व निर्धारित इशारा किया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस रघुवीर शरण शर्मा मय हमराहीयान के उसकी कार के पास पहुंचा जिसमें ड्राईवर सीट पर परिवादी तथा कण्डक्टर साइड की आगे वाली सीट पर एक नवयुवक बैठा हुआ मिला। परिवादी ने उसे पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मैं आज नगर निगम ग्रेटर भवन के कमरा नम्बर 404 जिसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी बैठते है, में जाकर श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, सीएफओ साहब से मिला, जहां मैंने अदिति जनरल एवं आई अस्पताल के भवन की अग्निशमन की एनओसी दिये जाने के संबंध में बातचीत की तो उन्होंने एनओसी की फाईल की प्रकिया के बारे में बातचीत करने लगे, इसके बाद मैंने श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी को उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि दिये जाने के संबंध में कहा तो उन्होंने कहा कि जो परसो किया है वो ही कर दो एवं किसको देने है बाबत पूछा तो कहा कि बाहर श्रवण होगा उसे दे दो, जिस पर मैं कमरे बाहर निकला तो उनके कमरे के बाहर निकल कर श्रवण को आवाज दी तो एक व्यक्ति ने स्वयं को श्रवण होना बताया जिसे सीएफओ साहब द्वारा बतायी गई रिश्वत राशि के रूपये देने के लिए कहा तो श्री श्रवण लाल, सीएफओ साहब के कमरे में जाकर उनसे मिल कर पुनः बाहर आया एवं कहा कि मुझे दे दो, इस पर मैं श्रवण लाल को साथ लेकर नीचे पार्किंग में खड़ी अपनी कार में आया तथा कार में बैठकर उसे अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब से फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वत राशि 2000हजार रूपये के 25 नोट कुल 50,000/– रूपये निकाल कर श्री श्रवण लाल को दिये जो उसने अपने बांये हाथ में लेकर गिने और अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की बांयी जेब में रख लिये, इसके बाद मैंने आपको इशारा कर दिया। परिवादी के उक्त कथन पर उसकी कार में बैठे नवयुवक को बाहर निकाला तथा उसे मन निरीक्षक पुलिस ने स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुए उसे परिवादी श्री ओमप्रकाश की ओर इशारा कर पूछा कि क्या आपने अभी अभी इनसे कोई रिश्वत के रूप में रूपये लिये है, तो श्री श्रवण लाल घबरा गया एवं कुछ नहीं बोला। पुनः पूछने पर बताया कि मुझे ओमप्रकाश जी ने कहा कि चलो नीचे चलते है जिस पर मैं उनके साथ चला गया नीचे जाकर उनकी गाडी में बैठ गये जहां उन्होंने मुझे दो–दो हजार के नोट निकाल कर मुझे दिये ओर कहा कि 50000रूपये है इनको लेकर उपर चलो, मैं आ रहा हूँ। इस पर मैंने उनसे रूपये लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की बांयी जेब में रख लिये। इस पर श्री श्रवण कुमार को पूछा कि आपने श्री ओमप्रकाश से यह नहीं पूछा कि यह राशि क्यों दे रहें हो, तो श्रवण लाल ने कहा कि मैंने कुछ नहीं पूछा बस रूपये लेकर रख लिये। श्री ओमप्रकाश जी हमारे कार्यालय में साहब के पास आते रहते हैं इसलिए मैं इनको जानता हूँ। श्री श्रवणलाल, चालक के उक्त बात का मौके पर उपस्थित परिवादी ने स्वतः ही खण्डन करते हुए बताया कि ये झूंठ बोल रहा है, सीएफओ साहब से मेरी फायर एनओसी के बारे में बात हुई तब पैसे के लिए पूछने पर कहा कि जो पहले दिये वो ही कर देना। इस पर मैंने कहा कि पैसे किसे दूं तो कहा कि श्रवण को दे दो इस पर मैंने सीएफओ के कक्ष के बाहर मिले उनके ड्राइवर श्रवण को कहा कि आप साहब से मिल लो तो श्री श्रवण लाल, चालक सीएफओ के कमरे में जाकर वापस आया तथा मेरे साथ नीचे आ गया जहां मैंने इसे कार में 50000/–रूपये दिये जो इसने लेकर अपने पहने हुए पेंट की पीछे की बांयी साइड की जेब में गिनकर रख लिये। परिवादी के उक्त कथन पर आरोपी श्री श्रवण लाल, चालक चुप हो गया एवं अपनी गर्दन नीचे कर ली। जिस पर उक्त श्री श्रवण लाल के दोनों हाथ कलाई से श्री मनीष सिंह कानि0 एवं श्री पन्नालाल कानि0 से पकड़वाये जाकर सभी को साथ लेकर ग्रेटर नगर निगम के मुख्य भवन में चतुर्थ मंजिल पर कमरा नम्बर 404 में लेकर आये, जहां प्रवेश किया तो कक्ष में लगी टेबल कुर्सी पर सामने की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसकी ओर परिवादी ने इशारा कर बताया कि यही सीएफओ साहब है, जिन्होंने मुझे मेरे द्वारा अग्निशमन उपकरण लगाए गए दो भवनों की फायर एनओसी देने के लिए 1.00लाख रूपये की मांग कर दिनांक 01.08.2022 को

रिश्वत राशि की मांग सत्यापन के समय 50,000/–रूपये श्री राकेश कुमार, मोबाइल नम्बर 9314611167 के मार्फत लिये थे तथा आज इनके द्वारा की गई मांग के अनुसार इनके कहने पर इनके चालक श्री श्रवण कुमार को 50,000/–रूपये दिये है। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस ने स्वयं व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश प्रसाद फुलवारी पुत्र श्री केसूलाल फुलवारी, उम्र 55 साल, जाति रेगर, निवासी फ्लेट नम्बर–407, सरस्वती टॉवर, अग्रसेन अस्पताल के पास, विधाधर नगर, जयपुर हाल निवासी फ्लेट नम्बर–101, भगवती रेजीडेन्सी, परशुराम सर्किल के पास, सेक्टर–5, विधाधर नगर, जयपुर हाल मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर होना बताया। श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी को परिवादी की ओर इशारा कर उसके द्वारा आवेदन करवाए गए दो भवनों स्माईलैक्स पैकेजिंग एवं अदिति आई अस्पताल भवन की अग्निशमन से संबंधित एनओसी जारी करने के एवज में रिश्वत राशि प्राप्त करने बाबत पूछा तो श्री जगदीश प्रसाद, सीएफओ सकपका गए एवं कुछ नहीं बोले। पुनः तसल्ली देकर पूछने पर कहा कि मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए है एवं ना ही किसी को दिलवाये है, मैंने पैसो के संबंध में कोई बातचीत नही की है। अभी कुछ देर पहले ओमप्रकाश जी आये थे तथा अपनी एनओसी के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने इन्हें फाईल के प्रोसेस के बारे में बात की थी। श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी को दिनांक 01.08.2022 को श्री ओमप्रकाश से मिलने तथा उनसे 50,000/–रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो कहा कि मिलने आये थे लेकिन मैंने उस दिन भी इनसे फाईल के प्रोसेस के बारे में ही बातचीत की थी, मैंने इनसे आजतक एक पैसा नहीं लिया है। मौके पर उपस्थित परिवादी ने श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि सीएफओ साहब झूंठ बोल रहे हैं मेरे द्वारा अदिति आई हॉस्पीटल एवं सीमलैक्स कम्पनी के भवन में अग्निशमन उपकरण लगवाने के बाद में भवनों की अग्निशमन की एनओसी के लिए आवेदन करवाया था जिस पर दिनांक 01.08.2022 को मेरे द्वारा सीएफओ साहब से मिलने पर उस दिन उन्होंने मेरे से 50,000/–रूपये श्री राकेश नामक व्यक्ति को पैसे दिलवाये थे तथा सीमलेक्स कम्पनी भवन की एनओसी श्री फुलवारी द्वारा ऑनलाईन फाईल निकाल कर नीचे भिजवायी दी थी, जो अभी तक नहीं मिली है तथा दूसरी फायर एनओसी अदिति आई हॉस्पीटल के लिए आज आकर मिला तो इन्होंने कहा कि जो पहले दिये थे वो ही कर दो। इस पर मैंने पूछा कि पैसे किसको दू तो कहा कि बाहर श्रवण होगा उसे दे दो, इस पर मैंने इनके कमरे के बाहर खडे श्रवण लाल, ड्राइवर को कहा कि जाओ साहब से बात कर लो तो श्री श्रवण लाल कमरे में सीएफओ साहब से मिलकर वापस आया, जिसे मैंने सीएफओ के कहे अनुसार नीचे पार्किंग में ले जाकर अपनी कार में 50,000/–रूपये दे दिये, जो उसने लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की बांयी साइड की जेब में रख लिये। परिवादी के उक्त कथन पर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी चुप हो गया एवं कुछ नहीं बोला। इसके पश्चात ग्रेटर नगर निगम कार्यालय से पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में भरवाकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाकर हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन मिश्रण के एक गिलास में श्री श्रवण लाल, चालक के बांये हाथ की अंगुलियों, अंगुठा को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क एल–1 व एल–2 से चिन्हित किया गया। इसी प्रकार दूसरे तैयारशुदा मिश्रण के गिलास में श्री श्रवण लाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों, अंगुठा को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त मिश्रण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आर–1 व आर–2 अंकित किया। इसके बाद गवाह श्री दीपक शर्मा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी से श्री श्रवण लाल, चालक की जामा तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने उनकी पहनी हुई पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब से दो–दो हजार रूपये के नोट निकाल कर पेश किये। जिनको गवाह से गिनवाए जाने पर दो हजार रूपये के 25 नोट कुल 50,000/–रूपये होना बताया। दोनों गवाहान से उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाया तो गवाहान से सभी नोटों के नम्बर हूंबहू होना बताया। बरामशुदा 50,000/–रूपये की रिश्वत राशि के नोटों को एक सफेद कागज की चिट में सिलकर सील्डमोहर किया। आरोपी श्री श्रवण लाल, चालक की जामा तलाशी में उक्त रिश्वत राशि के अलावा मिला सामान उसे वापस लौटाया गया। इसके बाद ग्रेटर नगर निगम कार्यालय से एक पायजामे की व्यवस्था कर श्री श्रवण लाल, चालक के वक्त वाका पहने हुए पेंट को उतरवाया गया तथा एक साफ कांच के गिलास में पुनः प्रक्रियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का रंगहीन मिश्रण तैयार कर श्री श्रवण लाल, चालक के पहनी हुई पेंट की पीछे की बांयी साइड की जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी

हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। आरोपी श्री श्रवण लाल, चालक के पहनी हुई उक्त पेंट बैरंग काली को सुखाकर पीछे की बांयी साईड के जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक सफेद कपड़े की थैली में सिलकर सील्डमोहर कर मार्क–पी अंकित किया। श्री श्रवण लाल, चालक के दोनों हाथों, पेंट की धोवण की सभी शिशियों के चिट व चस्पों पर एवं सील्डचिट रिश्वत राशि एवं पेंट पैकेट पर गवाहान एवं संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात् श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, सीएफओ को दिनांक 01.08.2022 को परिवादी श्री ओमप्रकाश के मिलने पर वार्ता उपरांत 50,000/–रूपये की रिश्वत राशि श्री राकेश नामक व्यक्ति को दिलाये जाने तथा श्री राकेश को बुलाये जाने हेतु कहा तो बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि किसी को नहीं दिलवाई है, राकेश कुमार कौन है, मैं नहीं जानता। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री ओमप्रकाश ने बताया कि श्री राकेश कुमार, नगर निगम में ठेकेदारी का काम करता हैं तथा उसके मोबाइल नम्बर 9314611167 है। जिस पर श्री राकेश कुमार ठेकेदार को लाने के लिए श्री परमेश्वर लाल, उ0पु0अ0 एवं श्री मनीष सिंह, कानि0 को भेजा। इसके बाद श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी को परिवादी श्री ओमप्रकाश के द्वारा आवेदित अदिति आई अस्पताल के भवन की अग्निशमन से संबंधित एनओसी जारी करने संबंधित पत्रावली के बारें में पूछा तो बताया कि एनओसी का कार्य ऑनलाईन होता है, संबंधित आवेदन कर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, जो ग्रेटर नगर निगम के डीलिंग क्लर्क के पास आती है। डीलिंग क्लर्क द्वारा उसे ऑनलाईन संबंधित सहायक अग्निशमन अधिकारी के पास भेजता है, उसके द्वारा टिप्पणी अंकित करने के उपरांत वह ऑनलाईन मेरे पास भेजता है, जिसे मै मेरी एसएसओ आईडी पर खोलकर टिप्पणी अंकित करने के पश्चात उपायुक्त–फायर के पास भेजता हूँ जो उपायुक्त द्वारा टिप्पणी अंकित उपरांत पुनः मेरे पास आती है तथा उसे नीचे डीलिंग क्लर्क के पास भेज देते हैं। सम्पूर्ण प्रकिया के पश्चात उपायुक्त–फायर के यंहा से एनओसी संबंधित आवेदन कर्ता को जारी हो जाती है। श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, सीएफओ को श्री ओमप्रकाश परिवादी के द्वारा आवेदित अदिति जनरल एवं आई हॉस्पीटल, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर–632, सेक्टर–बी9, चित्रकूट स्कीम, 200फुट बाईपास के पास, मामा मार्बल, वैशाली नगर, जयपर एवं स्माईलेक्स पैकेजिंग, 456–457 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, टोंक रोड, जयपुर के संबंध में पूछने पर बताया कि इनकी सीमलैक्स पैंकेजिंग कम्पनी के भवन से संबंधित एनओसी मेरे द्वारा ऑनलाईन दिनांक 01.08.2022 को टिप्पणी के साथ उपायुक्त–फायर को भेज दी गई है, जहां से अग्रिम कार्यवाही के बाद इन्हें एनओसी दी जावेगी। दूसरी अदिति जनरल एवं आई हॉस्पीटल से संबंधित एनओसी कल ऑनलाईन मेरे पास आई है, जो अभी मेरे पास लम्बित है। श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, सीएफओ को उक्त एसएसओ आईडी खोलकर परिवादी के आवेदन की प्रतियां उपलब्ध कराने की कहने पर उसके द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिक श्री भागचंद कुमावत, संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर को बुलाकर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी ने अपनी एसएसओ आईडी–jagdishphulwari.lsg जिसका पासवर्ड Golujpr@123 होना बताया। कार्यवाही के दौरान श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस मय श्री मनीष कानि0 के उपस्थित आये एवं बताया कि श्री राकेश कुमार, ठेकेदार को नगर निगम कार्यालय में तलाश किया गया, लेकिन वह ट्रैप कार्यवाही की भनक लग जाने से फरार हो गया है एवं अपना मोबाइल फोन स्वीच ऑफ कर लिया है। आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निवास स्थान फ्लेट नम्बर–101, भगवती रेजीडेन्सी, परशुराम सर्किल के पास, सेक्टर–5, विधाधर नगर, जयपुर की खाना तलाशी ली जाने तथा उक्त फ्लेट की चाबी आरोपी श्री जगदीश प्रसाद के पास होने से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद को मय चाबी श्री परमेश्वर लाल उ0पु0अ0 एवं कानि0 श्री मनीष सिंह के साथ रवाना किया तथा श्री भागचंद कुमावत, संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर ने आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, सीएफओ की एसएसओ आईडी खोल कर परिवादी के आवेदन अदिति जनरल एवं आई हॉस्पीटल की एनओसी से संबंधित पत्रावली की आवेदन से दिनांक 03.08.22 की प्रकिया से संबंधित दस्तावेज की प्रिन्ट निकाल कर पेश किया। जिसका अवलोकन करने पर आवेदन कर्ता श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री मनोहर लाल वर्मा निवासी 625, सेक्टर–6, चित्रकूट स्कीम अजमेर रोड जयपुर द्वारा द्वारा उक्त आवेदन कमांक 2022–23/8482 दिनांक 14.04.2022 को ऑनलाईन करना एवं अंतिम बार दिनांक 03.08.2022 को श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पास कम संख्या 18 पर "Pending with Chif Fire Officer Site Inspection" के नोट (स्टेट्स)के साथ लम्बित है। इसी प्रकार परिवादी के दूसरे आवेदन स्माईलैक्स पैकेजिंग, 456–457 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, टोंक रोड, जयपुर का आवेदन कर्ता श्री अमर चंद पुत्र श्री मेवाराम महावर, निवासी एच–456–457 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, टोंक रोड, जयपुर की ओर से आवेदन कमांक 2022–23/8337 दिनांक 15.04.2022 को करना तथा

अंतिम बार दिनांक 01.08.2022 को आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा क्रमांक 16 पर साइट इन्सपेक्शन अटेच की टिप्पणी के साथ आगे प्रेषित करना तथा "Pending with DC Fire/EO/Commissioner After Site Inspection" के नोट (स्टेट्स)के साथ लम्बित है। उक्त दोनों आवेदनों की ऑनलाईन पत्रावली के दस्तावेजों का प्रिन्ट लेकर शामिल फर्द किया गया। दोनों आरोपियों का सेवा विवरण जरिये तहरीर उपायुक्त–कार्मिक, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। कार्यवाही के दौरान समय 6:45 पी.एम पर श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, सीएफओ एवं श्री मनीष सिंह कानि0 के उपस्थित आये। जिन्होंने बताया कि आरोपी को उसके फ्लेट नम्बर 101 पर लेकर गये जहां पूर्व से उपस्थित श्री मांगीलाल, उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी की उपस्थिति में आरोपी के फ्लेट की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की। बाद खाना तलाशी आरोपी को लेकर उपस्थित हुए है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी पुत्र श्री केसूलाल फुलवारी, उम्र 55 साल, जाति रेगर, निवासी फ्लेट नम्बर–407, सरस्वती टॉवर, अग्रसेन अस्पताल के पास, विधाधर नगर, जयपुर हाल निवासी फ्लेट नम्बर–101, भगवती रेजीडेन्सी, परशुराम सर्किल के पास, सेक्टर–5, विधाधर नगर, जयपुर हाल मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा का उचित कार्य करने के एवज में अनुचित लाभ आपसी षड़यंत्र रचकर अदिति जनरल एवं आई हॉस्पीटल एवं स्माईलैक्स पैकेजिंग के भवनों में फायर उपकरण लगाये जाने पर उनकी फायर एनओसी प्रदान करने की एवज में 1.00लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता दिनांक 01.08.2022 के समय 50,000/–रूपये मांग कर अपने परिचित श्री राकेश कुमार, ठेकेदार को दिलवाये तथा शेष राशि 50,000/–रूपये आज दिनांक 04.08.2022 को दौराने ट्रैपकार्यवाही परिवादी से मांग कर अपने चालक श्री श्रवण लाल को दिलवाना, जिस पर आरोपी श्री श्रवण लाल कुमावत पुत्र श्री रामलाल, उम्र 30 साल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम रतनपुरा, पोस्ट गढवाड़ी, पुलिस थाना मनोहरपुर जिला जयपुर हाल चालक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर द्वारा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, सीएफओ के कहे अनुसार परिवादी से 50,000रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब में रख ली, जहां से बरामद होना पाया गया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 के तहत प्रथम दृष्ट्या कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं श्री श्रवण लाल कुमावत, चालक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपीगणों की फर्द गिरफ्तारी पृथक–पृथक तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा सुपुर्दशुदा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित ट्रैप बॉक्स में रखा गया। मौके पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा मय जप्तशुदा आर्टिकल्स, जप्तशुदा रिश्वती राशि मय ट्रेप बॉक्स, सरकारी लैपटॉप मय प्रिन्टर व सरकारी वाहन मय चालक व परिवादी की गाड़ी से ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा व स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 05.08.2022 को कार्यालय समय में उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 05.08.2022 को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश के कार्यालय में उपस्थित आने पर ट्रैप कार्यवाही से संबंधित रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.08.2022 एवं रिश्वत के लेन देन की वार्ता दिनांक 04.08.2022 को सुनकर शब्द–ब–शब्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार कर वार्ताओं की सी.डी. तैयार कर सीडियों एवं मैमोरी कार्ड को सील्डमोहर किया गया, वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये।

उपरोक्त कार्यवाही में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर द्वारा परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा से उसके द्वारा स्माईलेक्स पैकेजिंग कम्पनी के भवन में लगाए गए अग्निशमन उपकरणों की फायर एनओसी जारी करने के एवज में दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 01.08.2022 को 1.00लाख रूपये की मांग कर उसी दिन 50,000/–रूपये अपने परिचित श्री राकेश कुमार शर्मा, निवासी 154, सुन्दर विहार, कालवाड रोड, जयपुर मोबाइल नम्बर 9314611167 के मार्फत प्राप्त किये गये। आरोपी श्री राकेश कुमार शर्मा दिनांक 04.08.2022 को आरोपीगणों के विरूद्ध हुई ट्रैपकार्यवाही की भनक लग जाने से मौके से फरार होकर अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर लेना पाया गया।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल,रिश्वत राशि लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी पुत्र श्री केसूलाल फुलवारी, उम्र 55 साल, जाति रेगर, निवासी फ्लेट नम्बर–407, सरस्वती टॉवर, अग्रसेन अस्पताल के पास, विधाधर नगर, जयपुर हाल निवासी फ्लेट नम्बर–101, भगवती रेजीडेन्सी, परशुराम सर्किल के पास, सेक्टर–5, विधाधर नगर, जयपुर हाल मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा का उचित कार्य करने के एवज में अनुचित लाभ आपसी षड़यंत्र रचकर अदिति जनरल एवं आई हॉस्पीटल एवं स्माईलैक्स पैकेजिंग के भवनों में फायर उपकरण लगाये जाने पर उनकी फायर एनओसी प्रदान करने की एवज में 1.00लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता दिनांक 01.08.2022 के समय 50,000/–रूपये मांग कर अपने परिचित श्री राकेश कुमार, ठेकेदार को दिलवाये तथा शेष राशि 50,000/–रूपये आज दिनांक 04.08.2022 को दौराने ट्रैपकार्यवाही परिवादी से मांग कर अपने चालक श्री श्रवण लाल को दिलवाना, जिस पर आरोपी श्री श्रवण लाल कुमावत चालक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर द्वारा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, सीएफओ के कहे अनुसार परिवादी से 50,000रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब में रख ली, जहां से बरामद होना पाया गया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 का कारित करना प्रमाणित पाये जाने से आरोपीगण 1– आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी पुत्र श्री केसूलाल फुलवारी, उम्र 55 साल, जाति रेगर, निवासी फ्लेट नम्बर–407, सरस्वती टॉवर, अग्रसेन अस्पताल के पास, विधाधर नगर, जयपुर हाल निवासी फ्लेट नम्बर–101, भगवती रेजीडेन्सी, परशुराम सर्किल के पास, सेक्टर–5, विधाधर नगर, जयपुर हाल–मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर,जयपुर, 2– श्री श्रवण लाल कुमावत पुत्र श्री रामलाल, उम्र 30 साल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम रतनपुरा, पोस्ट गढवाड़ी, पुलिस थाना मनोहरपुर जिला जयपुर हाल चालक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर, 3– श्री राकेश कुमार शर्मा, निवासी 154, सुन्दर विहार, कालवाड रोड, जयपुर मोबाइल नम्बर 9314611167 एवं 4–अन्य के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(रघुवीर शरण शर्मा)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान इकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर 2. श्री श्रवण लाल कुमावत, चालक, कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर 3. राकेश कुमार शर्मा, निवासी 154, सुन्दर विहार, कालवाड़ रोड़, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 311/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2722-27 दिनांक 5.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

5.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।